

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 110 / 2013

दर्ज दिनांक:—30.09.2013

1. पीतमसिंह पुत्र बाबूसिंह जाति जाट
पता— निवासी उंदरा तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

2. सहाबसिंह पुत्र जुल्फीराम जाति जाट
पता— निवासी उंदरा तहसील व जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

प्रमोद उपमन

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—05.01.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। अतः दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर